

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1972/माघ 19, 1893
No. 87] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1972/MAGHA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February 1972

S.O. 126(E).—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/72-I, dated the 1st February 1972, published in an extraordinary issue of the Gazette of India Part II, Section 3(ii), dated the 2nd February, 1972, namely:—

In Table 3—

- (1) against the entry '1. Andhra Pradesh' for "(14) Tiger and (15) Elephant" the following shall be substituted, namely "(14) Tiger, (15) Elephant and (16) Rising Sun";
- (2) against the entry '3. Bihar' for "(19) im, (20) Elephant and (21) Soldier with a gun" the following shall be substituted, namely "(19) Drum and (20) Elephant";
- (3) against the entry '9. Madhya Pradesh' for "(11) Swastik within a circle, (12) Spade and Stoker and (13) Soldier with a gun" the following shall be substituted, namely "(11) Swastik within a circle and (12) Spade and Stoker";
- (4) against the entry '16. Punjab' for "(12) Flaming Torch, (13) Soldier with a gun and (14) Elephant" the following shall be substituted, namely "(12) Flaming Torch and (13) Elephant"; and
- (5) against the entry '12. West Bengal' for "(23) Drum, (24) Soldier with a gun and (25) Elephant" the following shall be substituted, namely "(23) Drum and (24) Elephant".

[No. 56/72-II.]

By Order.

K. S. RAJAGOPALAN, Secy

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1972

का० घा० 126(घ).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र समाधारण, भाग 2 खंड 3(ii) तारीख 8 फरवरी, 1972 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं० 56/72-I, तारीख 1 फरवरी, 1972 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

सारणी 3 में—

(1) “1 आन्ध्र प्रदेश” प्रविष्टि के सामने, “(14) चीता तथा (15) हाथी” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(14) चीता, (15) हाथी तथा (16) उदीयमान सूर्य।”

(2) “3-बिहार” प्रविष्टि के सामने, “(19) नगाडा, (20) हाथी तथा (21) बन्दूकधारी सैनिक” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(19) नगाडा तथा (20) हाथी।”

(3) “9-मध्य प्रदेश” प्रविष्टि के सामने, “(11) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (12) फावड़ा और बेलचा तथा (13) बन्दूकधारी सैनिक।” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(11) वृत्त के भीतर स्वस्तिक तथा (12) फावड़ा और बेलचा।”

(4) “16-पंजाब” प्रविष्टि के सामने, “(12) मशाल, (13) बन्दूकधारी सैनिक तथा (14) हाथी” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(12) मशाल तथा (13) हाथी।”

(5) “21 पश्चिम बंगाल” प्रविष्टि में, “(23) नगाडा, (24) बन्दूकधारी सैनिक तथा (25) थी” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(23) नगाडा तथा (24) हाथी।”

[सं० 56/72-II]

आदेश से,

के० एस० राजागोपालन, सचिव ।